रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-219999
SG-DL-E-18062020-219999

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]	**दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 18 , 2020/ज्येष्ठ 28, 1942**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 49**
No. 114]	**DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942**	**[N.C.T.D. 49**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÙk ¼jktLo&I½ foHkkx

vf/kl puk

दिल्ली] 17 जून 2020

21/2019 – jkT; dj ¼nj½

l-Qk- 3¼11½@foÙk¼jktLo&1½@2020&21@Mh-,l-&IV@2-—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व–I) अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे स०फा० 03(15)/वित्त(राज०–1)/2017–2018/डी.एस.–IV/380 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) सारणी में,–

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,–

"इतनी राशि थी जितने से कि वे दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U–17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः FIFA U–17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं।";

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनस्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, कॉफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य;

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य'';

(ज) क्रम संख्यां 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या् 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां–जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां–वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"इतनी राशि थी जितने से कि वे दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य'';

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रविन्द्र कुमार, उप सचिव– IV (वित्त)

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं०फा० 03(15)/वित्त(राज०–I)/2017–2018/डी.एस.–VI/380 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2019– राज्य कर (दर), दिनांक 10/06/2020, सं०फा० 03(9)/वित्त(राज०–I)/2020–21/डी.एस.–VI/181 दिनांक 10/06/2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2020

21/2019 – State Tax (Rate)

No. F 3(11)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/ DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.";

(c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;

(d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil";

(g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

(h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the entry "(r) Bangla Shasya Bima" shall be inserted;

(i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017)";

(j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No.13/2019-State Tax (Rate), dated 10/06/2020 *vide* No.F.3(9)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-VI/181, dated 10/06/2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.18 20:52:31 +05'30'